भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3127

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

छत्तीसगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाएं

†3127. श्री संतोष पांडेय:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का जिलेवार ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है;
(ग) छत्तीसगढ़ में केंद्रीय निधि से स्थापित किये जा रहे अस्पतालों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त अस्पतालों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तपोषण में आनुपातिक हिस्सेदारी का कोई प्रावधान है;और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरक बनाता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को योजनाओं के प्रत्येक घटक के लिए अलग-अलग बजट प्रावधान के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है। इन योजनाओं के लिए सरकारी खर्च तिमाही व्यय योजना के अनुसार सर्वोत्तम आउटपुट के लिए किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

छत्तीसगढ़ सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित विभिन्न प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का विवरण तथा जारी/उपयोग की गई निधियां का विवरण निम्नानुसार है:

i. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) **अनुलग्नक-I** में है।
ii. मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और देश में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन और नए पीजी विषयों को शुरू करने और छत्तीसगढ़ सहित पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करना और उनका उन्नयन करना **अनुलग्नक-II** में है।
iii. नर्सिंग शिक्षा को बढ़ाना और नर्सिंग सेवाओं का विकास **अनुलग्नक-III** में है।
iv. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) **अनुलग्नक-IV** में है।

(ग) से (ङ.): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों की है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जिला अस्पताल के स्तर तक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी देती है। अस्पतालों की स्थापना सहित छत्तीसगढ़ को दी गई मंजूरी का विवरण सार्वजनिक डोमेन https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=44&lid=57 पर उपलब्ध है।:

एनएचएम वित्त पोषण पद्धति केंद्र सरकार और राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और पुडुचेरी) के बीच 60:40 का है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शेयरिंग पैटर्न 90:10 का है। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, वित्त पोषण पद्धति 100% केंद्रीय अंशदान का है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3127 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत केंद्रीय रिलीज और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना	जारी की गई केंद्रीय राशि	व्यय
1	एनएचएम	875.80	1,743.79
2	पीएम-एबीएचआईएम	32.23	19.64

(i) उपर्युक्त जारी राशि केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इसमें शेयर अंशदान शामिल नहीं है।

(ii) व्यय में केंद्रीय जारी राशि, राज्य जारी राशि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि में व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है।

अनुलग्नक -II

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3127 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

(i) मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना

(ii) देश में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन और नए पीजी विषयों को शुरू करने और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करना और उनका उन्नयन करना।

'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना', ऐसे वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए, जहाँ कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण प्रणाली पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में है, और अन्य के लिए 60:40 है। इस योजना के तहत, सभी परिकल्पित 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से छत्तीसगढ़ में 05 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

	जिला	अनुमोदित लागत	केंद्रीय अंशदान **(60%)**	कुल	स्थिति
1	राजनंदगांव	189.00	113.40	113.40	पहले ही उद्घाटन हो चुका है
2	सरगुजा	189.00	113.40	113.40	पहले ही उद्घाटन हो चुका है
		378.00	**226.80**	**226.80**	

क्र.सं.	जिला	अनुमोदित राशि	केंद्रीय अंशदान **(60%)**	जारी कुल राशि	स्थिति	टिप्पणी
1	कोरबा	325	195	90	कार्यात्मक (ए वाई 2022-23)	अस्थायी परिसर में संचालित। डीपीआर को अवरूद्ध कर दिया गया है और टेंडर को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन कॉलेजों की आधारशिला रखी जा सकती है
2	महासमुंद	325	195	90	कार्यात्मक (ए वाई 2022-23)	
3	कांकेर	325	195	90	कार्यात्मक (ए वाई 2021-22)	
कुल		**975**	**585**	**270**		

देश में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए सीएसएस के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में वित्तपोषण किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा लागत 1.20 करोड़ रुपये प्रति सीट निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत, 180 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 03 मेडिकल कॉलेजों में 150 यूजी सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य को 27 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंशदान जारी किया गया है। विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	मेडिकल कॉलेज का नाम	बढ़ीं सीटें	अनिमोदत लागत	केंद्रीय अंशदान(60%)	2022-23 में जारी की गई राशि	जारी कुल राशि
1	राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, जीएमसी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़	50	60	36	9	9
2	स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल मेमोरियल शासकीय. मेडिकल कॉलेज रायगढ़, छत्तीसगढ़	50	60	36	9	9
3	छत्तीसगढ़ कार्यविज्ञान संस्थान बिलासपुर	50	60	36	9	9

केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 'राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ बनाने और नए पीजी विषयों को शुरू करने तथा पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए', छत्तीसगढ़ में 32.73 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ 01 मेडिकल कॉलेज में 79 पीजी सीटों को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ को 22.094 करोड़ रुपये का संपूर्ण केंद्रीय अंशदान जारी किया गया है। विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	मेडिकल कॉलेज का नाम	कुल लागत	केंद्रीय अंशदान	स्वीकृत पीजी सीटों की संख्या	जारी निधियां		जारी कुल राशि
					2011-12	2017-18	
1	पं. जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, रायपुर	32.73	22.094	79	12.275	9.819	22.094
	कुल	32.73	22.094	79	12.275	9.819	22.094

अनुलग्नक-III

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3127 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना तथा नर्सिंग सेवाओं का विकास

क. केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) "नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना - चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ 157 नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, सरगुजा, कोरबा, महासमुंद तथा कांकेर जिलों में 05 नर्सिंग महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं।

ख. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस) "नर्सिंग सेवाओं का विकास" के तहत, प्रत्येक नर्सिंग स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में अपग्रेड करने और नर्सिंग अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 7.00 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई है और राज्य सरकार/राज्य नर्सिंग परिषद/केंद्र सरकार के संस्थानों/टीएनएआई से 30 प्रतिभागियों (नर्सों) को विभिन्न नर्सिंग विशेषज्ञता में अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति कोर्स 2,28,500 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ को कोई निधियां जारी नहीं की गई है।

अनुलग्नक - IV

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3127 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है जो भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40% वाले 12.37 करोड़ परिवारों के अनुरूप लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य सहित 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

एबी पीएम-जेएवाई पूरी तरह से मांग आधारित है। एनएचए राज्यों से प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर उन्हें योजना कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करता है। निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। एनएचए द्वारा परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों को प्रत्येक नई निधि जारी करने से पहले पहले प्राप्त निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एबी पीएम-जेएवाई के तहत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी निधियों और उपयोग की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

छत्तीसगढ़ राज्य को सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई निधि (करोड़ में)	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उपयोग की गई निधि (करोड़ में)
195.47	192.08

*****